Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में सामूहिक दुष्कर्म व लूट की घटना कारित करने वाले आरोपी राशिद व आबिद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर 07 माह के अन्दर प्रत्येक को हुआ नैसर्गिक जीवन शेष के लिए कारावास व 1,26,000 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्तों राशिद पुत्र रोशन निवासी मौ0 किदवई नगर कस्बा दादरी थाना दादरी जनपद गाजियाबाद व आबिद पुत्र शराफत निवासी कल्लूगढ़ थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद द्वारा सामूहिक दुष्कर्म व लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 185/23 धारा 452/324/394/342/376डी/377/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप 07 माह के अन्दर दिनांक 03.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों राशिद व आबिद को दोषी पाते हुए प्रत्येक को नैसर्गिक जीवन शेष के लिए कारावास व 1,26,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

राहुल नेहरा
डीजीसी बागपत

रविकांत
एडीजीसी बागपत

कोर्ट पैरोकार थाना सिंघावली अहीर

मुख्यआरक्षी बुद्धप्रकाश

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी फिरोज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10,500 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त फिरोज पुत्र अकबर निवासी चरथावल बस स्टैण्ड थाना भवन जनपद शामली द्वारा वर्ष-2010 में दहेज के लिए प्रताड़ित करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0-455/10 धारा 498ए/323/504/506/452/307 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 03.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज पंचम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त फिरोज को दोषी पाते हुए धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 03.02.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 33/24 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध चाकू व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 01 मृतक के मोबाइल फोन सहित 05 मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 30.01.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी आरिफ पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ साबु निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी पिता सहाबुद्दीन उर्फ साबु की पेट में चाकू मारकर व गले में फांसी लगाकर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 33/24 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना की कार्यवाही आरंभ की गयी।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी खेकड़ा के नेतृत्व में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना खेकडा पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा मैराथन प्रयास

करते हुए मु0अ0सं0 33/24 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध चाकू व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 05 मोबाइल (01 मृतक का मोबाइल फोन) बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शौकीन पुत्र करमू निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-नाजिम पुत्र शौकत निवासी ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-रितिक पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त शौकीन पुत्र करमू निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत के पास मृतक सहाबुद्दीन उर्फ साबू के कमेटी के 01 लाख रुपये थे, जिन्हे मृतक सहाबुद्दीन द्वारा बार-बार मांगकर दबाब बनाया जा रहा था तथा इनका आपसी विवाद चल रहा था। उक्त बातों से परेशान होकर अभियुक्त शौकीन द्वारा अभियुक्त नाजिम को 01 लाख 30 हजार रुपये में सहाबुद्दीन को मारने की सुपारी दे दी। अभियुक्त शौकीन दिनांक 29.01.2024 की शाम को सहाबुद्दीन को खेत की तरफ ले गया और वहां पहले से मौजूद 1.नाजिम पुत्र शौकत, 2.रितिक पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत की मदद से पकडकर जमीन पर गिरा लिया और नीचे दबाकर शौकीन ने सहाबुद्दीन के पेट में चाकू मारा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वहीं पास में ईंख के खेत में छुपाकर फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 153/22 धारा 147/148/149/307/323/324/427/452/504/506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 033/24 धारा 302/201 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 035/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **आल कत्ल 01 अवैध चाकू।**
- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।**
- **मृतक का 01 मोबाइल फोन।**
- **04 अन्य मोबाइल।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-प्र0नि0 राजवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
2-व0उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री अमरदीप थाना खेकडा जनपद बागपत।
5-है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
6-का0 1048 मुनेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
7-का0 330 हरेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
8-हो0गा0 631 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनांक- 03.02.2024

थाना बडौत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कदीम पुत्र शफीक उर्फ हड्डी निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत।

2-का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत।

3-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनाँक-03.02.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1-राजू पुत्र विजय निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-नदीम पुत्र कालू निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बिनौली।
2-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली।
3-है0का0 368 गौरव सिंह थाना बिनौली।
4-का0 1119 वीरेश कुमार थाना बिनौली।